

प्रेस नोट

दिनांक 24.08.2024

थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा 03 दहेज हत्याभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार— कार्यवाही—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 268/24 धारा 80(1),85 बीएनएस व 3/4 डी०पी० एकट से सम्बन्धित 03 आरोपी अभियुक्तों—01. अजय (पति) पुत्र बिहारी, 02. लाल बिहारी (ससुर) पुत्र अलगू 03. शिवपता (सास) पत्नी लाल बिहारी निवासीगण नसीरपुर मौजा खेमपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा को सेमरा चौराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 07.07.2024 को वादी ननकू पुत्र दयाराम नि० सईया, थाना हुजूरपुर जनपद बहराइच द्वारा थाना कटराबाजार में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री को उसके ससुरालजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिए हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कटराबाजार में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 24.08.2024 को थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाये गए 03 आरोपी अभियुक्तों—01. अजय, 02. लाल बिहारी, 03. शिवपता को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. अजय(पति) पुत्र बिहारी नि० नसीरपुर मौजा खेमपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
02. लाल बिहारी(ससुर) पुत्र अलगू नि० नसीरपुर मौजा खेमपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
03. शिवपता पत्नी लाल बिहारी नि० नसीरपुर मौजा खेमपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—268/24 धारा 80(1),85 बीएनएस व 3/4 डी०पी० एकट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० राधेश्याम गुप्ता।
02. उ०नि० शिवम गुप्ता।
03. का० अवनीश कुमार।
04. का० चन्दन मिश्रा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 24.08.2024

थाना मनकापुर पुलिस द्वारा छेड़छाड़ करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया

गिरफ्तार—

कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश सिंह के नेतृत्व में थाना मनकापुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-399 / 24, धारा 333,74,115(2),352,351(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त नंदू दूबे पुत्र रामबालक नि0 ग्राम जैदवा कसैला थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा को तेलियन पुरवा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 06.08.2024 को थाना मनकापुर क्षेत्र के रहने वाली एक महिला द्वारा थाना मनकापुर में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी नन्दू दूबे द्वारा घर में घुसकर उनके साथ छेड़छाड़ की गयी है विरोध करने पर गाली-गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मनकापुर में सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना उ0नि0 प्रेमचन्द चौबे द्वारा की जा रही थी, विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर आज दिनांक 24.08.2024 को थाना मनकापुर पुलिस द्वारा दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त नंदू दूबे को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना मनकापुर पुलिस द्वारा अग्रिम वैद्यानिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. नंदू दूबे पुत्र रामबालक नि0 ग्राम जैदवा कसैला थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-399 / 24, धारा 333,74,115(2),352,351(2) बीएनएस थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 प्रेमचन्द चौबे।

02. हे0का0 मृत्युजंय गुप्ता।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 24.08.2024

थाना मनकापुर पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफतार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश सिंह के नेतृत्व में थाना मनकापुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-432/24, धारा 352,109 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त बाबूलाल पुत्र मूसे नि0 ग्राम बंजरिया थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा को झिलाही रेलवे कासिंग के पास से गिरफतार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 24.08.2024 को वादी मूसे पुत्र भगौती नि0 ग्राम बंजरिया थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना मनकापुर में लिखित तहरीर दी गयी कि उनके लड़को के मध्य आपस में परिवारिक विवाद हुआ था जिसमें बाबूलाल द्वारा उग्र होकर ईट से अपने भाई ओरीलाल के ऊपर हमलाकर उसे मरणासन्न अवस्था में कर दिया है। जिसका इलाज जिला अस्पताल गोण्डा में चल रहा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मनकापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसमें मनकापुर पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी अभियुक्त बाबूलाल को झिलाही रेलवे कासिंग के पाससे गिरफतार कर लिया गया। गिरफतार अभियुक्त के विरुद्ध थाना मनकापुर पुलिस द्वारा अग्रिम वैद्यानिक कार्यवाही की गयी।

गिरफतार अभियुक्त—

01. बाबूलाल पुत्र मूसे नि0 ग्राम बंजरिया थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-432/24, धारा 352,109 बीएनएस थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफतार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 लालजी।
02. हे0का0 विजय शंकर राजभर।
03. हे0का0 अजय कुमार गुप्ता।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 24.08.2024

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा लोक सेवक के कार्यों में बाधा डालने व उसके साथ मार पीट करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार—

कार्यवाही—

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना थाना को0 देहात पुलिस द्वारा थाना को0 नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0— 354 / 24, धारा 147,149,332,353,504,506,327 भादवि व 3(2)ट एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अतुल श्रीवास्तव को मल्लारी चौराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 24.05.2024 को वादी विजय कुमार(ग्राम पंचायत अधिकारी वि0ख0 पण्डरी कृपाल) द्वारा थाना को0 नगर में तहरीर दी गयी कि मल्लारी के प्रधान द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर विकास खण्ड कार्यालय में आकर सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए उनके साथ गाली—गुप्ता देते हुए मार—पीट की गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाए गए वांछित अभियुक्त अतुल श्रीवास्तव को आज दिनांक 24.08.2024 को चौकी प्रभारी सालपुर द्वारा मल्लारी चौराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम वैद्यानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अतुल श्रीवास्तव पुत्र कृष्ण कुमार श्रीवास्तव नि0 भगवत पट्टी मल्लारी थाना को0 देहात जनपद गोणडा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—354 / 24, धारा 147,149,332,353,504,506,327 भादवि व 3(2)ट एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट थाना को0 नगर जनपद गोणडा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 रामप्रकाश चन्द्र थाना को0 देहात।
02. का0 राजकुमार।

मीडिया सेल, गोणडा।